जीएसटी अधिवक्ता (प्रेक्टिशनर्स)

सीजीएसटी अधिनियम की धारा 48 में किसी पात्र व्यक्ति को अनुमोदित जीएसटी अधिवक्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने का प्रावधान है। कोई पंजीकृत व्यक्ति किसी अनुमोदित जीएसटी अधिवक्ता को उसकी ओर से सरकार को सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। वस्तु एवं सेवा कर अधिवक्ता के अनुमोदन का तरीका, उसकी पात्रता शर्तें, कर्तव्य एवं प्रतिबद्धताएं, पदच्युत करने का तरीका तथा उसके कार्यकरण से संगत अन्य शर्तें, रिटर्न नियमों के नियम 24 और 25 में विहित है। जीएसटी अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए आवेदन करने, नामांकन प्रमाणपत्र देने, निरर्हता के लिए कारण बताओ नोटिस देने, नामांकन के आवेदन को नामंजूर करने का आदेश देने, अनुमोदित जीएसटी अधिवक्ताओं की सूची बनाने, प्राधिकार पत्र देने एवं प्राधिकार की वापसी के लिए मानकीकृत फार्मेट जीएसटी पीसीटी-1 से जीएसटी पीसीटी-5 तक में विहित किए गए हैं। किसी अन्य राज्य या संघ शासित क्षेत्र में पंजीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिवक्ता को अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में नामंकित माना जाएगा।

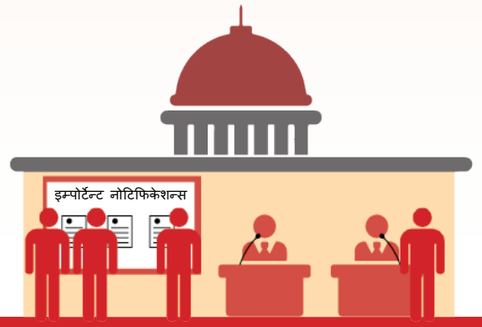

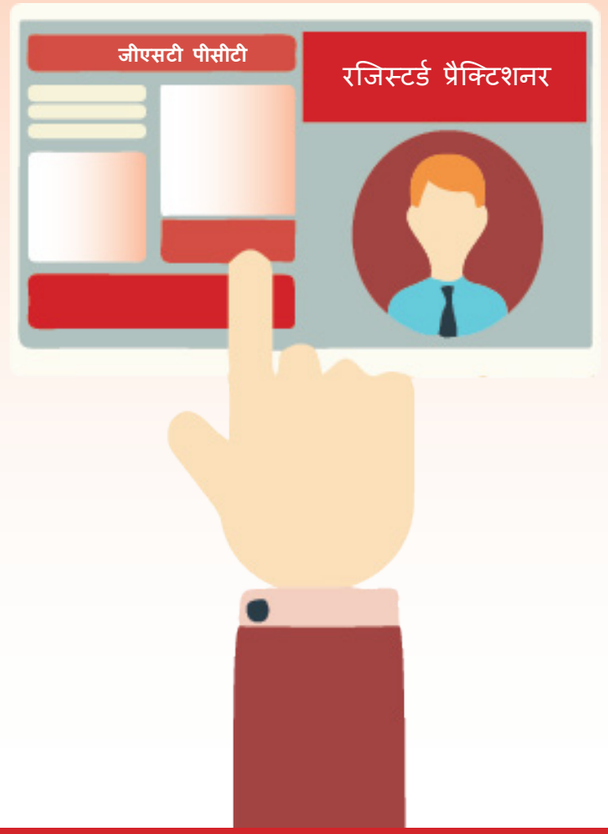

जीएसटी

जीएसटी अधिवक्ता (प्रेक्टिशनर्स)

एक राष्ट्र कर बाजार

हमारा अनुसरण करें

@CBEC_India
@askGST_GoI

cbecindia

सत्यमेव जयते

जीएसटी

माल और सेवा कर

जीएसटी अधिवक्ता (प्रेक्टिशनर्स)

करदाता सेवा महानिदेशालय
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड
www.cbec.gov.in

जीएसटी अधिवक्ता बनने के लिए पात्रता मानदंड

रिटर्न नियम के नियम 24 में निम्नलिखित योग्यता धारक किसी भी व्यक्ति को जीएसटी अधिवक्ता के रूप में नामांकन हेतु पात्रता शर्तों का प्रावधान किया गया है:

(i) वह भारत का नागरिक हो;

(ii) वह मानसिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ हो;

(iii) उसे दिवालिया घोषित न किया गया हो;

(iv) उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए कम से कम दो वर्षों के लिए कारावास की सजा, न सुनाई गई हो।

इसके अतिरिक्त, उस व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों में से कोई एक शर्त भी पूरी करना चाहिए:

(क) वह किसी राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग अथवा सीबीईसी का सेवानिवृत्त अधिकारी हो और उसने ऐसे पद पर कम से कम दो वर्षों की अवधि के लिए कम किया हो जो समूह "ख" राजपत्रित अधिकारी के पदक्रम (रैंक) से कम न हो; अथवा

(ख) वह मौजूदा विधि के अंतर्गत बिक्री कर अधिवक्ता अथवा कर रिटर्न तैयारकर्ता के रूप में नामांकित हो जिसकी अवधि पांच से कम न हो।

(ग) उसके पास निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता हो:

(i) उसके पास तत्समय प्रभावी विधि द्वारा स्थापित भारत के किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य, विधि, उच्चतर अंकेक्षण सहित बैंकिंग अथवा व्यवसाय प्रशासन अथवा व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक डिग्री अथवा स्नातकोत्तर डिग्री हो अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो; अथवा

(ii) विदेश स्थित किसी ऐसे विश्वविद्यालय से डिग्री धारक हो जिस डिग्री को किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा उपखंड (i) में उल्लिखित डिग्री परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्रदान की गई हो; अथवा

(iii) इस प्रयोजनार्थ परिषद की संस्तुति पर सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो; अथवा

(iv) किसी भारतीय विश्वविद्यालय अथवा विदेश स्थिर किसी अन्य विश्वविद्यालय की कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो जिसे किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री परीक्षा के समकक्ष की मान्यता प्रदान की गई हो; अथवा

(v) उसने निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा उत्तीर्ण की हो; अर्थात:

(क) भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान की अंतिम परीक्षा; अथवा

(ख) भारतीय लागत लेखाकार संस्थान की अंतिम परीक्षा; अथवा

(ग) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की अंतिम परीक्षा।

जीएसटी अधिवक्ता बनने के इच्छुक व्यक्ति को प्रपत्र जीएसटी पीसीटी-1 में आवेदन प्रस्तुत करना होता है। इस आवेदन की संवीक्षा की जाएगी और जीएसटी पीसीटी-2 प्रपत्र में जीएसटी अधिवक्ता प्रमाणपत्र दिया जाएगा। यदि आवेदनपत्र अस्वीकृत किया जाता है तो जीएसटी पीसीटी-4 प्रपत्र में उसके उपयुक्त कारण बताए जाएंगे। एक बार किया गया नामांकन इसको निरस्त किए जाने तक वैध रहता है। परंतु वस्तु एवं सेवा कर अधिवक्ता के रूप में नामांकित कोई भी व्यक्ति तब तक नामांकित बने रहने के लिए पात्र नहीं रह पाएगा जब तक वह परिषद की सिफारिश पर आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित किसी प्राधिकारी द्वारा संचालित और किसी निश्चित समय पर आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेता है। मौजूदा विधि के अंतर्गत यदि किसी बिक्री कर अधिवक्ता अथवा कर रिटर्न तैयारकर्ता के रूप में नामांकित किसी व्यक्ति को वस्तु एवं सेवा कर अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया है और एक वर्ष की अवधि के भीतर अगर वह उक्त परीक्षा पास नहीं करता है तो वह नियुक्ति की तारीख से केवल एक वर्ष की अवधि के लिए नामंकित रहेगा।

जीएसटी अधिवक्ता के कार्य

वस्तु एवं सेवा कर अधिवक्ता पंजीकृत व्यक्ति की ओर से निम्नलिखित सभी अथवा कोई भी कार्य कर सकता है:

(क) बर्हिगामी अथवा आंतरिक आपूर्तियों का विवरण प्रस्तुत करना;

(ख) मासिक तिमाही, वार्षिक अथवा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ग) क्रेडिट के लिए इलेक्ट्रॉनिक नकदी रजिस्टरर में जमा करना;

(घ) प्रतिदाय का दावा प्रस्तुत करना; और

(ङ) पंजीकरण में संशोधन करने अथवा उसे रद्द करने के लिए आवेदन दायर करना।

परंतु जहां किसी वस्तु एवं सेवा कर अधिवक्ता द्वारा प्रतिदाय के दावे से संबंधित आवेदनपत्र अथवा पंजीकरण में संशोधन करने अथवा निरसन करने के लिए आवेदन दिया गया है वहां पंजीकृत व्यक्ति से उसकी संपुष्टि किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्तं, जीएसटी अधिवक्ता को उस पंजीकृत व्यक्ति की ओर से जिसने यह प्राधिकृत किया है कि वह उसका जीएसटी अधिवक्ता है, विभाग के किसी अधिकारी अथवा अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होने की भी अनुमति है।

जीएसटी अधिवक्ता के लिए शर्तें

कोई पंजीकृत व्यक्ति जीएसटी पीसीटी-5 में जीएसटी अधिवक्ता की उन प्राधिकृत कार्यों को सूचीबद्ध करके सम्मति दे सकता है और उसे प्राधिकृत कर सकता है जिनके लिए वह जीएसटी अधिवक्ता को प्राधिकृत करना चाहता है। जीएसटी अधिवक्ता को प्राधिकृत करते हुए पंजीकृत व्यक्ति को जीएसटी पीसीटी-5 प्रपत्र के भाग "क" में दिए मानक प्रपत्र में प्राधिकृत कर सकता है और जीएसटी अधिवक्ता इस प्राधिकार को जीएसटी पीसीटी-5 प्रपत्र के भाग "ख" में स्वीकृत करेगा। जीएसटी अधिवक्ता को केवल वही कार्य करने की अनुमति होगी जिनका जीएसटी पीसीटी-5 के प्राधिकार प्रपत्र में उल्लेख किया गया है। पंजीकृत व्यक्ति किसी भी समय इस प्राधिकार को जीएसटी पीसीटी-5 के विहित प्रपत्र में वापस ले सकता है।

विवरणों की यथार्थता का उत्तरदायित्व

जीएसटी अधिवक्ता द्वारा दायर रिटर्न एवं अन्य ब्यौरों में प्रस्तुत विवरणों की यथार्थता का उत्तरदायित्व उस पंजीकृत व्यक्ति का ही रहेगा जिसकी ओर से वह विवरण प्रस्तुत किए गए हैं।

जीएसटी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक विवरण जीएसटी साझा पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति को उपलब्धत कराया जाएगा। जीएसटी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक विवरण के लिए पंजीकृत व्यक्ति से उसकी ई-मेल पर या एसएमएस द्वारा संपुष्टि मांगी जाएगी। अपनी संपुष्टि देने से पहले पंजीकृत व्यक्ति को उन तथ्यों पर हस्ताक्षर करने से पहले यह सुनिचित कर लेना चाहिए कि रिटर्न में उल्लिखित सभी तथ्य सत्य एवं यथार्थ हैं। तथापि, तथ्यों की संपुष्टि के अनुरोध का कोई जबाव न देने पर यह मान लिया जाएगा कि पंजीकृत व्यक्ति ने अपनी संपुष्टि दे दी है।

जीएसटी अधिवक्ता सभी विवरण पूर्व तत्परता से तैयार करेगा और वह उसके द्वारा तैयार विवरणों पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर करेगा अथवा अपने प्रत्ययपत्र का प्रयोग करके उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित करेगा। यदि जीएसटी अधिवक्ता को कदाचार का दोषी पाया गया तो उसका नामांकन रद्द किया जा सकता है। इसके लिए उसे जीएसटी पीसीटी-3 प्रपत्र में एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

(जीएसटी अधिवक्ता) आरूपों की सूची

क्रम सं.	प्रपत्र संख्या	विवरण
1	जीएसटी पीसीटी-1	माल और सेवा कर अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए आवेदनपत्र
2	जीएसटी पीसीटी-2	माल और सेवा कर अधिवक्ता के लिए नामांकन प्रमाणपत्र
3	जीएसटी पीसीटी-3	निरर्हता के लिए कारण बताओ नोटिस
4	जीएसटी पीसीटी-4	जीएसटी अधिवक्ता के रूप में नामांकन के लिए आवेदनपत्र की नामंजूरी/अथवा जीएसटी अधिवक्ता के रूप में कार्य करने से निरर्हता का आदेश
5	जीएसटी पीसीटी-5	माल और सेवा कर अधिवक्ता का प्राधिकृतीकरण/प्राधिकृतीकरण वापस लेना